# राजस्थान सरकार
## जल संसाधन विभाग

क्रमांकः एफ.17(ए)/बजट/नियम/2015–16/3611 जयपुर, दिनांकः– 14-10-2015

**–:: आदेश ::–**

जैसा कि आपको विदित हैं, राजस्थान राजपत्र मे जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो गये हैं। समस्त उपापन संस्थाओं के द्वारा सामग्री, सेवा, संकर्म के उपापन के मामलों में उक्त अधिनियम एवं नियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हैं।

उक्त अधिनियम के अध्याय 3 एवं नियमों के अध्याय 7 के अनुसार बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला उपापन प्रक्रिया के दौरान उपापन संस्था के किसी निर्णय, कार्रवाई या लोप, इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों के उपबन्ध के उल्लंघन में है, तो वह अपील दाखिल कर सकेगां। इस संबंध में बोली दस्तावेजो, पूर्व अर्हता दस्तावेजों, रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में प्रथम अपील अधिकारी का पदाभिहित विनिर्दिष्ट उल्लेख उपापन संस्था द्वारा किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अध्याय–III के अर्न्तगत प्रथम अपील अधिकारी एवं द्वितीय अपील अधिकारी निम्नानुसार पदाभिहित (designated) किये जाते हैं:–

| क्र.स. | उपापन संस्था | प्रथम अपील अधिकारी | द्वितीय अपील अधिकारी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सहायक अभियन्ता कार्यालय | अधिशासी अभियन्ता | अधीक्षण अभियन्ता |
| 2 | अधिशासी अभियन्ता कार्यालय | अधीक्षण अभियन्ता | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता |
| 3 | अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता | मुख्य अभियन्ता |
| 4 | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय | मुख्य अभियन्ता | प्रशासनिक विभाग |
| 5 | मुख्य अभियन्ता कार्यालय | प्रशासनिक विभाग | वित्त विभाग |
| 6 | प्रशासनिक विभाग | वित्त विभाग | राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित |

14.X.15

(अजिताभ शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ.17(ए)/बजट/नियम/2015–16/3612–19 जयपुर, दिनांकः–14-10-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) विभाग को उनके परिपत्र क्रमांकः एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011पार्ट.।। जयपुर, दिनांकः 1.3.2013 परिपत्र संख्या 6/2013 के क्रम में।
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन/जल संसाधन सम्भाग, कोटा/सांचौर/(उत्तर) हनुमानगढ़,/गुण नियंत्रण एवं सर्तकता विभाग/ एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी., जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त ........................................
7. अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड ..................................
8. श्री संजय सेठी, नोडल अधिकारी एवं उपनिदेशक (आई.टी.), सिंचाई भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

14/10/15

(विमल कुमार गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार